

**बिहार सरकार**  
**कृषि विभाग**

**!! अधिसूचना !!**

पटना, 15 दिनांक-29-06-2018

संख्या-01/ए०जी०-10/2017-2542 /बिहार कृषि सेवा, कोटि-7 (उद्यान) के निम्नांकित पदाधिकारियों को वर्तमान पद से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तंभ-5 में अंकित उप निदेशक (उद्यान)/सहायक निदेशक (उद्यान) एवं समकक्ष स्तर के पद एवं स्थान पर कार्यहित में प्रोन्नति के फलस्वरूप देय वेतनमान/अपने वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वरीयता क्रमांक	कोटि/वर्ग	स्थानांतरित/पदस्थापन का पद एवं स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री पवन कुमार, संयुक्त निदेशक (उद्यान), बिहार, पटना।	2	कोटि-7 (उद्यान) वर्ग-1	उप निदेशक (उद्यान), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।
2	डॉ राकेश कुमार, उप निदेशक (उद्यान), योजना, उद्यान निदेशालय, मुख्यालय, पटना।	3	कोटि-7 (उद्यान) वर्ग-1	उप निदेशक (उद्यान), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।
3	श्री नीतेश कुमार राय, उप निदेशक (उद्यान), पटना प्रमंडल, पटना।	4	कोटि-7 (उद्यान) वर्ग-1	उप निदेशक (उद्यान), प्रशासन एवं मु०, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना।
4	श्री निरंजन कुमार, पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	-	कोटि-7 (उद्यान) वर्ग-2	सहायक निदेशक (उद्यान), समस्तीपुर।
5	श्री ओम प्रकाश मिश्रा, सहायक निदेशक (उद्यान), समस्तीपुर।	9	कोटि-7 (उद्यान) वर्ग-2	सहायक निदेशक (उद्यान), जिला उद्यान कार्यालय, गया।
6	श्री वरुण कुमार, उद्यान पदाधिकारी, नालन्दा।	-	बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, कोटि-7 (उद्यान)	सहायक निदेशक (उद्यान), जिला निदेशक कार्यालय, उद्यान, कैमूर। (अपने वेतनमान में)

2. सभी स्थानांतरित पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने वर्तमान पद का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को सौंपकर नवपदस्थापित स्थान पर दिनांक-07.07.2018 तक अनिवार्य रूप से प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। जिन स्थानांतरित पदाधिकारियों के स्थान पर किसी प्रतिस्थानी का पदस्थापन नहीं किया जा सका है, उन पदाधिकारियों को अपने नियंत्री पदाधिकारियों के आदेशानुसार स्थानीय वैकल्पिक व्यवस्था के अनुरूप प्रभार सौंपकर नवपदस्थापित स्थान पर निर्धारित तिथि तक योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक-07.07.2018 तक प्रभार नहीं सौंपने वाले पदाधिकारी उक्त तिथि से नवपदस्थापित स्थान के लिए स्वतः विरमित समझे जायेंगे एवं अनुशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे तथा उनका वेतन नये पदस्थापित स्थान से देय होगा।

3. क्रमांक-4 एवं 5 के पदाधिकारियों को जिन्हें उनके अभ्यावेदन के आधार स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया है, उनको स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेष से,

*(प्रभु राम)*

निदेशक (प्र०)–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक-01/ए०जी०-10/2017- 2542 /क०, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रभारी, ई०-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

*(प्रभु राम)*  
निदेशक (प्र०)–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक-01/ए०जी०-10/2017- 2542 /क०, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०क०) विभाग, बिहार, पटना तथा सभी संबंधित कोषांग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*(प्रभु राम)*  
निदेशक (प्र०)–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक-01/ए०जी०-10/2017- 2542 /क०, पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कृषि निदेशक, बिहार, पटना/अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक (प्र०)–सह–अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (प्रभारी स्थापना), कृषि विभाग, बिहार, पटना/अपर निदेशक (शष्य), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/अपर निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/अपर निदेशक (कृषि अभि०), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/राज्य नोडल पदाधिकारी, आत्मा, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, पी०पी०एम०/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य), संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (शष्य), पाट, बिहार, पूर्णियाँ/संयुक्त निदेशक (शष्य), शिक्षा, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य), प्रसार, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (कृ०अभि०), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जांच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/सभी उप निदेशक, कृषि विभाग/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं प्रशाखा-2 तथा कार्यवाहक सहायक, कृषि विभाग, बिहार, पटना को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*(प्रभु राम)*  
निदेशक (प्र०)–सह–अपर सचिव


ज्ञापांक-01/ए०जी०-10/2017- 2542 /क०, पटना, दिनांक- 29-06-2018


प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि विभाग के आप्त

*(प्रभु राम)*

सचिव, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-01/ए०जी०-१०/२०१७- २५४२ /कृ०, पटना, दिनांक- २९-०६-२०१८  
प्रतिलिपि:- उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्र०)  सह-अपर सचिव

निदेशक (प्र०)  सह-अपर सचिव

